बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

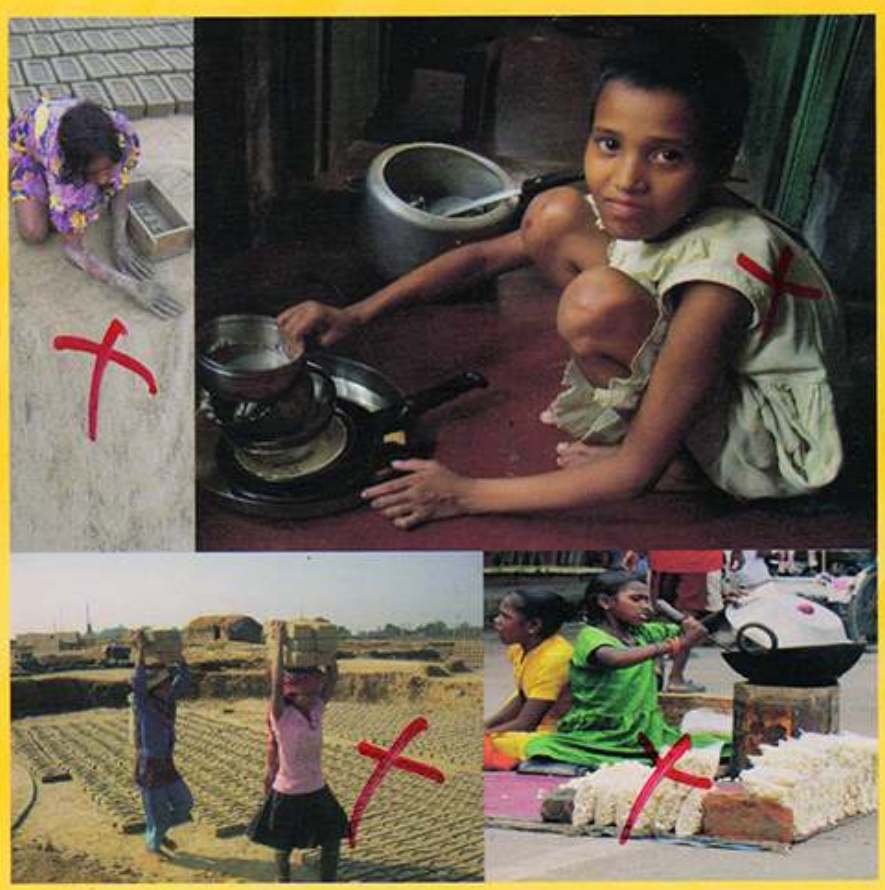

बिहार शताब्दी दिवस, 2012

दि. 22-24 मार्च, 2012

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

बाल श्रमिक रखने वाले सावधान !

- 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम लेना दण्डनीय अपराध है ।
- होटल, ढाबा, रेस्तराँ, ईट–भटठा एवं कल–कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिकों से काम लेने वाले सावधान हो जाएँ ।
- बच्चों से घरेलू कामगार के रूप में काम लेने वाले भी सावधान हो जाएँ ।
- दोषी नियोजकों को 20000/– रूपये तक जुर्माना हो सकता है ।
- दोषी नियोजकों को उपर्युक्त जुर्माने के साथ 1 वर्ष तक कारावास की सजा भी हो सकती है ।
- इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार दोषी नियोजकों से 20000/– रूपये क्षतिपूर्ति की राशि भी वसूली जाएगी ।
- पूरे राज्य में धावा–दलों द्वारा दोषी नियोजकों के परिसरों में जाँच–पड़ताल जारी है । बाल श्रमिक नियोजित करने वाले कोई भी नियोजक बख्शे नहीं जाएँगे ।
- यदि कोई मालिक 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम लेता पाया जाये तो निम्नलिखित पतों पर अविलम्ब सूचना भेजें ।

बाल श्रमिक कोषांग
संयुक्त श्रमायुक्त (0612–2231918)
बाल श्रमिक परामर्शी (9934363036)

श्रमायुक्त
श्रम संसाधन विभाग, पटना
दूरभाष : 0612–2221559/9431019731

प्रधान सचिव
श्रम संसाधन विभाग, पटना
दूरभाष : 0612–2223855

बिहार सरकार,

श्रम संसाधन विभाग

1–4–2012 से प्रभावी पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरें ।

अधिसूचना संख्याः–5 / एम0डब्लू0–403 / 2007 श्र0सं0–1242 दिनांक 21–03–2012

सामान्य नियोजन

अनुसूची भाग–1

क्रं.सं.	कामगारों की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी की दरें
1	2	3
1	अकुशल	151.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल	158.00 प्रतिदिन
3	कुशल	192.00 प्रतिदिन
4	अतिकुशल	234.00 प्रतिदिन
5	पर्यवेक्षीय / लिपिकीय	4341. 00 प्रतिमाह

अधिसूचना संख्याः–5 / एम0डब्लू0–401 / 2007 श्र0सं0–1246 दिनांक 21–03–2012

घरेलू कामगार

अनुसूची भाग–1

क्रं.सं.	कामगारों की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी की दरें
1	2	3
1	बरतन धोना (01 घंटा)	452.00 प्रतिमाह
2	कपड़ा धोना / बरतन धोना (01 घंटा)	452.00 प्रतिमाह
3	बरतन धोना / कपड़ा धोना / एक हजार स्काव्यर फीट में पोछा लगाना (01 घंटा)	452.00 प्रतिमाह
4	कपड़ा धोना / बरतन धोना / पोछा लगाना एवं बच्चों की देखभाल करना (08 घंटा)	3605.00 प्रतिमाह
5	कपड़ा धोना / बरतन धोना / पोछा लगाना एवं बच्चों की देखभाल करना / बच्चों को स्कूल पहुँचाना एवं वापस लाना तथा अन्य घरेलू विविध कार्य करना (08 घंटा)	3605.00 प्रतिमाह

अधिसूचना संख्याः–5 / एम0डब्लू0–402 / 2009 श्र0सं0–1244 दिनांक 21–03–2012

कृषि नियोजन

अनुसूची भाग– II

क्रं.सं.	कामगारों की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी की दरें
1	2	3
1	कटनी कार्य को छोड कर अन्य कार्यो के लिए	145.00 प्रतिदिन
2	ट्रैक्टर, ड्राईवर एवं पम्प ऑपरेटर	5215.00 प्रतिमाह
3	ट्रैक्टर खलासी / पम्प खलासी चौकीदार / सिपाही	4057.00 प्रतिमाह
4	कटनी	काटी गई फसल के 10 बोझा में एक बोझा

नोट :– न्यूनतम मजदूरी की दरें सरकार द्वारा समय–समय पर पुनरीक्षित की जाती है।

अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूर योजना

प्रवासी मजदूर कौन :– प्रवासी मजदूर का तात्पर्य ऐसे सभी मजदूरों से है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में किसी संविदा या अन्य व्यवस्था के तहत् नियोजन हेतु जाते है।

बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 एवं संशोधित नियमावली, 2011 की विशिष्टियाँ:–

- यह योजना 01ली अप्रैल, 2008 एवं संशोधित नियमावली 1.4.2011 से लागू है।
- **पात्रता**– (i) राज्य के बाहर काम करने वाले असंगठित मजदूर जो बिहार राज्य के अधिवासी हों ।
  (ii) प्रवासी मजदूर की आयु 18 से 65 वर्ष के बीच हो ।

  दुर्घटना :–

  (क) ट्रेन या सड़क दुर्घटना, विद्युत स्पर्शाघात, साँप काटना, पानी में डूबना, आग, वृक्ष अथवा भवन से गिर जाना, जंगली जानवरों द्वारा प्रहार, आतंकवादी अथवा आपराधिक आक्रमण आदि से हुई दुर्घटना इस योजना में सम्मिलित है ।

  (ख) स्वेच्छा से लगाई गई चोट / आत्महत्या / मादक द्रव्यों / पदार्थ के सेवन से हुई मृत्यु दुर्घटना में सम्मिलित नहीं है ।
- **प्रक्रिया :–**
- **अनुदान हेतु दावा पत्र :–** अनुदान प्राप्त करने हेतु दावा पत्र प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / श्रम अधीक्षक / जिला पदाधिकारी के कार्यालय में दाखिल किया जा सकता है ।

  लाभ :–

1. **प्रवासी मजदूर के दुर्घटना मृत्यु के फलस्वरूप अनुदान :–** दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु अथवा दुर्घटना के कारण 180 दिनों के अन्तर्गत मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को रू0 1,00,000 / – (रू0 एक लाख) मात्र का अनुदान भुगतेय होगा। दिनांक– 1.4.2011 के प्रभाव से दुर्घटना के फलस्वरूप स्थायीपूर्ण अपंगता की स्थिति में 75,000 / – (पचहत हजार) एवं स्थायी आंशिक अपंगता की स्थिति में 37,500 / – (सैतीस हजार पाँच सौ) प्रवासी मजदूर को अनुदान के रूप में देय होगा ।
2. **इस योजना का शत–प्रतिशत व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।**
3. **अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूर योजना के अन्तर्गत अन्य लाभ :–** अन्य राज्यों में कार्यरत बिहारी प्रवासी मजदूर अन्य किसी भी विषम परिस्थिति / कठिनाई में फंस जाते हैं अथवा बन्धुआ मजदूर के रूप में काम करने हेतु बाध्य किये जाते हैं तो राज्य सरकार द्वारा उन्हें मुक्त कराकर अपने खर्च पर उनके घर तक वापस पहुँचाने की व्यवस्था है ।
4. विमुक्ति के पश्चात एक माह के राशन हेतु रूपये 1500 / – भोजन, नास्ता, वस्त्र, दवा आदि मद में रूपये 500 / – एवं मार्ग व्यय में रूपये 500 / – तक व्यय करने का प्रावधान है ।

- योजना की विस्तृत जानकारी विभागीय हेल्पलाईन नं. से प्राप्त की जा सकती है।

हेल्पलाईन नं.– 0612–2231918, 09470834781, 0612–2215559, 0612–2213855

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

बिहार राज्य गठन के "शताब्दी वर्ष" में

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

द्वारा राज्य के निर्माण कामगारों के लिए चलाये जा रहे

कल्याणकारी कार्यक्रम

क्र. सं.	योजना का नाम	पात्रता	देय राशि
1.	बिहार शताब्दी गृह निर्माण, औजार एवं सायकिल क्रय हेतु अनुदान	कल्याण बोर्ड की एक वर्ष की सदस्यता ।	15,000/– रू0 । (एकमुश्त पूरी सदस्यता अवधि में एक बार के लिए देय)
2.	मातृत्त्व लाभ	महिला सदस्य श्रमिकों को दो बच्चों तक के लिए प्रसूति सहायता ।	1,000/रू0 प्रति बच्चों के लिए ।
4.	मृत्यु हित लाभ	सदस्य कामगार के नामित आश्रित को ।	15,000/ सामान्य मृत्यु पर एवं 50,000/ दुर्घटना में मृत्यु होने पर ।
5.	विवाह के लिए वित्तीय सहायता	सदस्य कामगार के दो पुत्रियों तक के विवाह तथा अविवाहित महिला सदस्य हेतु 3 वर्षों की सदस्यता के बाद देय ।	2,000/रू0 ।
	पेंशन	3 वर्ष की लगातार सदस्यता एवं 60 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात ।	150/–रू0 प्रतिमाह ।
6.	परिवार पेंशन	पेंशनधारी की मृत्यु के पश्चात जीवित पत्नी/पति को देय ।	मूल पेंशन का 50: अथवा 100/–रू0 जो अधिकहो।
7.	विकलांगता पेंशन	लकवा,कोढ़,टी.बी. अथवा दुर्घटना आदि के कारण स्थायी रूप से विकलांग होने पर ।	150/ प्रतिमाह एवं 5,000/– रू0 एकमुश्त अनुदान ।
8.	दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता	सदस्य के नामित आश्रित को ।	1,000/ रू0 ।
9.	चिकित्सा सहायता	सभी सदस्यों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत बीमित किया जायेगा ।	30,000/रू0 वार्षिक की मुफ्त चिकित्सा पंजीकृत अस्पताल में एवं 1000/–रू0 वार्षिक अस्पताल आने–जाने के लिए ।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य करने वाले सभी असंगठित कामगार इस लाभ को प्राप्त कर सकते हैं । वैसे निर्माण कामगार जो मासिक वेतन पर स्थायी रूप से निर्माण प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं, इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। ईंट निर्माण एवं पत्थर तोड़ने वाले कामगारों को भी इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।

पंजीयन प्रक्रियाः— कल्याण बोर्ड द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु कल्याण बोर्ड की सदस्यता आवश्यक है ।

प्रत्येक जिले के श्रम अधीक्षक, पंजीयन पदाधिकारी घोषित हैं। निबंधन के लिए श्रम अधीक्षक कार्यालय से निःशुल्क आवेदन प्राप्त होगा। आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है—

1. दो फोटो ।
2. 90 दिनों तक निर्माण कामगार के रूप में कार्य करने का प्रमाण पत्र, जो नियोजक अथवा निबंधित श्रमिक संघ अथवा संबंधित जिले के श्रम विभाग के पदाधिकारियों द्वारा दिया जायेगा ।
3. उम्र प्रमाण पत्र।
4. इस आशय का एफिडेविट कि पूर्व से निबंधित नहीं हैं तथा अन्य जिले में पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किये हैं।
5. 20/—रू0 निबंधन शुल्क नगद ।

पंजीकरण के बाद कामगारों को पहचान पत्र मिलेगा। कल्याण कार्यक्रमों का लाभ उन्हीं निर्माण कामगारों को मिलेगा, जिनके पास पहचान पत्र उपलब्ध रहेगा। अतः पहचान पत्र को सुरक्षित रखें।

<u>'सेस' जमा करने से संबंधित जानकारी</u>

कल्याणकारी योजनाएं चलाने के लिए सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं गैरसरकारी प्रतिष्ठानों को कुल लागत का एक प्रतिशत 'सेस' कल्याण बोर्ड में जमा करना है। 'सेस' नहीं जमा करने वाले प्रतिष्ठान से एक प्रतिशत के स्थान पर दो प्रतिशत 'सेस' वसूल करने एवं बकाये 'सेस' की राशि पर प्रतिमाह दो प्रतिशत की दर से सूद देय है। प्रतिष्ठान का पंजीकरण भी अनिवार्य है।

अतः सभी निर्माण नियोजक निर्धारित समय पर 'सेस' जमाकर दंड से बचें। अपने निर्माण कामगारों को पंजीकरण हेतु प्रोत्साहित कर अच्छे नियोजक बनें।

विशेष जानकारी के लिए श्रम संसाधन विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों अथवा विकास भवन,पटना स्थित "बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" के सचिव से सम्पर्क करें ।

निवेदकः

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ।

कारखाना निरीक्षणालय, बिहार,
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार सरकार,

(1) न्याय के साथ विकास के पथ पर कारखाना निरीक्षणालय के बढ़ते कदमः–

- हम कार्य कर रहे हैं श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए ।
- हम कार्य कर रहे हैं उद्योग को बढ़ावा देने में Facilitator का ।

"बिहार कारखाना नियमावली 1950" में महत्वपूर्ण संशोधन ।

(i) 9 से अधिक श्रमिक वाले कारखाने को प्रत्येक साल होने वाले लाईसेंस नवीनकरण से विमुक्ति । इस श्रेणी के कारखाना में कारखाना चालू रहने तक एक ही बार लाईसेंस देने का प्रावधान ।

(ii) 9 से अधिक श्रमिक वाले कारखाने को प्रत्येक साल लाईसेंस नवीकरण से मुक्त कर प्रत्येक 5 (पाँच) साल पर लाईसेंस नवीकरण का प्रावधान ।

- पारदर्शिता लाने हेतु किये जाने वाले उपाय के तहत विभिन्न कार्य संपादन हेतु चेक लिस्ट का प्रावधान एवं कार्य की प्रगति हेतु समय–सीमा का निर्धारण ।

(2) कारखाना में उत्पादकता बढ़ाने का मूल मंत्र :–

- दुर्घटना रहित कार्य दिवस
- स्वस्थ कामगार
- प्रदूषण रहित कार्य वातावरण
- समुचित प्रकार का वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण
- सुरक्षित प्लान्ट एवं मशीनरी
- समय–समय पर मॉक ड्रील
- श्रमिकों को समय–समय पर उत्पादकता बढ़ाने एवं सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण
- बाल श्रमिकों से मुक्त कार्य स्थल
- श्रमिकों एवं प्रबंधनों के बीच सौहार्द्रपूर्ण वातावरण का स्थापन
- श्रमिकों से संबंधित समुचित स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नीति
- प्रबंधन द्वारा ऑन साईट इमरजेन्सी प्लान तैयार कर इससे संबंधित मॉक ड्रील की व्यवस्था

हमारा नारा :–

स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण
इस पर रहे हमेशा ध्यान
तभी रहेगी सबके चेहरे पर मुस्कान
इसी से होगा श्रमिकों एवं कारखानों का कल्याण ।

कारखाना निरीक्षणालय,

कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण से संबंधित मुख्य प्रावधान

1. **सुरक्षा संबंधी मुख्य प्रावधान :–**

- मशीनों को आवश्यकतानुसार सुरक्षा घेरा के अन्दर संचालित करना ।
- मशीनों के पास कार्यरत श्रमिकों द्वारा टाईट पोशाक / पहनावा का उपयोग करना ।
- कार्य वातावरण में फिसलन रहित फर्स, स्वच्छ हवा एवं पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था हेतु उपाय ।
- सुरक्षा की दृष्टिकोण से श्रमिकों को वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण (सेफ्टी गोगुल्स, सेफ्टी बेल्ट, हैण्ड ग्लब्स, मास्क, सुरक्षा जूता, इयर मफ इत्यादि) मुहैया कराना।
- कारखाना में श्रमिकों के लिए शुद्ध पेय जल, शौचालय इत्यादि की समुचित व्यवस्था
- कारखाना में अधिष्ठापित मशीनों (ऊँच्च दबाव पर कार्यरत), क्रेन और लिफ्ट का निश्चित अंतराल पर सक्षम व्यक्ति से सुरक्षा जॉच कराने का प्रावधान ।
- 1000 या उसके अधिक श्रमिकों के नियोजन की स्थिति में कारखाना में सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान ।
- खतरनाक श्रेणी के कारखाना में 500 या उससे अधिक श्रमिकों के नियोजन की स्थिति में सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान ।
- 250 या उससे अधिक श्रमिकों के नियोजन की स्थिति में कारखाना के अन्दर सुरक्षा हेतु सुरक्षा कमिटि के गठन का प्रबन्ध ।

2. **स्वास्थ्य संबंधी मुख्य प्रावधान :–**

- कारखाना में श्रमिकों की प्रथम नियुक्ति के समय स्वास्थ्य जाँच कराना ।
- कारखाना में प्रथम उपचार पेटी का पोषण एवं प्रथम उपचार में प्रशिक्षित व्यक्ति का नियोजन ।
- क्रेन संचालक एवं खतरनाक स्थल पर कार्यरत श्रमिकों का निश्चित अंतराल पर आँख तथा अन्य प्रकार के पैथोलॉजिक जाँच कराना ।
- 500 या उससे अधिक श्रमिकों के नियोजन की स्थिति में मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति ।
- खतरनाक श्रेणी / हर्जाड्स श्रेणी के कारखाना में व्यवसायिक मेडिकल सेन्टर का प्रावधान ।
- हजार्ड्स प्रोसेस के कारखानों में Periodical medical Examination करने का प्रावधान ।

3. **कल्याण संबंधी मुख्य प्रावधान :–**

- 250 या उससे अधिक नियोजन की स्थिति में कैन्टिन का प्रावधान ।
- 100 या उससे अधिक श्रमिकों के नियोजन की स्थिति में शेल्टर रूम, लंच रूम और रेस्ट रूम का प्रावधान ।
- 30 से ज्यादा महिला श्रमिकों के नियेाजन की स्थिति में क्रेच का प्रावधान ।
- 500 या उससे अधिक श्रमिकों के नियोजन की स्थिति में श्रम कल्याण पदाधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान ।
- प्रत्येक 20 दिन कार्यदिवस पूरा होने पर एक दिन का सवैतनिक अवकाश का प्रावधान ।
- दिन में आठ घंटा के कार्यावधि के बाद किये गये कार्य के लिए दो गुना वेतन का प्रावधान ।

वाष्पित्र निरीक्षणालय, बिहार
(Boiler Inspectorate, Bihar)

वाष्पित्र मालिकों के लिए फैक्ट्री में वाष्पित्र निरीक्षण के पूर्व तैयारी संबंधी महत्वपूर्ण अनुदेशः–

1. वाष्पित्र (Boiler) खाली एवं ढंडा रहे।
2. वाष्पित्र (Boiler) की सभी भीतरी एवं बाहरी गंदगी और पपड़ी साफ कर दी जाए।
3. चिमनी को झाड़ पोंछकर साफ कर दिया जए।
4. मेनहोल, मड होल, सेफ्टी वॉल्व और चेक वॉल्व खोल दिए जाएं।
5. फायर वार और फायर ब्रिज (अग्नि सेतु) हटा दिया जाए। निरीक्षक के निदेशानुसार किसी अन्य सेटिंग या फिटिंग को भी हटाना आवश्यक होगा।
6. निरीक्षण का समय सूर्योदय से सूर्यास्त तक है।
7. हरेक वाष्पित्र (Boiler) में दो सुरक्षा वॉल्व लगे होने चाहिए।
8. उपर्युक्त निर्देश के अनुसार वाष्पित्र तैयार नहीं रहने पर निरीक्षण की तारीख से वाष्पित्र का इस्तेमाल रोक दिया जाएगा। पुनः वाष्पित्र को चालू करने हेतु नये सिरे से फीस सहित आवेदन करना अनिवार्य होगा। निरीक्षण में सही पाये जाने पर पुनः वाष्पित्र (Boiler) चालू हो सकता है।

उपरोक्त के अलावे वाष्पित्र मालिकों का वाष्पित्र अधिनियम, 1923 (Boiler Act 1923) के निम्न प्रावधानों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता हैः–

(i) निबंधित किसी भी वाष्पित्र (Boiler) या इससे अनुबद्ध वाष्पनलियों की संरचना में किसी भी अपेक्षित फेरबदल के लिए मुख वाष्पित्र निरीक्षक (Chief Boiler Inspector) की अनुमति अनिवार्य है।

(ii) हर वाष्पित्र में लम्बे आकार का पेंच वाला वॉल्व या कॉक लगा होना चाहिए ताकि निरीक्षक द्वारा प्रेसर गेज उसमें फिट किया जा सके और जहाँ यह नली का ही हिस्सा होगा उस भाग को छोड़कर शेष मामलों में यह "वायलर सेल" पर लगा होना आवश्यक है।

(iii) वाष्पित्र (Boiler) पर निबंधन संख्या को खुदवाने के लिए "फेसीमाईल स्लिप" मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक द्वारा प्रदान की जाती है। उसे ही उसपर खुदवाना आवश्यक है।

(iv) यदि कोई वाष्पित्र या वाष्प नली दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो उसका स्वामी या प्रभारी मैनेजर दुर्घटना घटित होने के 24 घंटे के भीतर इसकी लिखित रिपोर्ट वाष्पित्र निरीक्षक को अवश्य सौंपेगा।

वाष्पित्र (Boiler) के भीतर कार्य करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा के लिए अपनाए जाने वाले युक्तियों का विवरणः–

वाष्पित्र (Boiler) के स्वामी/प्रभारी मैनेजर किसी भी श्रमिक को चालू वाष्पित्र के भीतर जाने के लिए न तो बाध्य करेगा और न ही अनुमति देगा, जब तक कि उक्त वाष्पित्र यथाविहित रीति से दूसरे वाष्पित्र के साथ गर्म भाप या गर्म जल संचार को कारगर ढ़ंग से बलैक फ्लेंज्ड (विनियोजित) नहीं कर लेता है।

याद रखें:–

विहित रीति को नहीं अपनाने वाले दोषी वाष्पित्र स्वामी/प्रभारी मैनेजर के लिए अर्थदण्ड के रूप में एक लाख रूपये एवं दो वर्षो का सश्रम कारावास अथवा दोनों का प्रावधान है।

मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक, बिहार,
पटना।